उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–775/ग्यारह–9(135)/2015–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश–(160)–2016

लखनऊ::दिनांक:: 02 जून, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 6 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, दिनांक 03 जून, 2016 से एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड और अनलैमिनेटेड बैग्स और एच0डी0पी0ई0/पी0पी0 लैमिनेटेड और अनलैमिनेटेड फैब्रिक्स की खरीद या बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियन संख्या 5, सन् 2008) के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा संदेय कर की धनराशि की सीमा तक, ऐसे माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर सन् 2007 के उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

02 Jun 16 06:28a commercial tax 2238023 p.6